राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप–6)विभाग

क्रमांक–प. 2(23)राज.6/2015/23 जयपुर, दिनांक– 19-05-16

अधिसूचना

राजस्थान ग्रामदान अधिनियम, 1971 (1971 का अधिनियम संख्या 12) की धारा 49 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, राजस्थान ग्रामदान नियम, 1971 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थातः–

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ.–** (1) यह नियम राजस्थान ग्रामदान (संशोधन) नियम, 2016 कहलाऐगें।

(2) ये तुरन्त प्रभाव से लागू होगें।

2. **नियम 12 का संशोधन.–** राजस्थान ग्रामदान नियम, 1971 के नियम 12 में,–

(i) उप–नियम (1) में विद्यमान अभिव्यक्ति ''ग्रामदान बोर्ड'', को अभिव्यक्ति ''संबंधित जिला कलक्टर'' से प्रतिस्थापित किया जायेगा।

(ii) उप–नियम (2) में विद्यमान अभिव्यक्ति ''जिसका सभापति ग्रामदान बोर्ड द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि होगा, जो निर्वाचन अधिकारी भी होगा।'', को अभिव्यक्ति ''जिसका सभापति जिला कलक्टर द्वारा नियुक्त अधिकारी, जो तहसीलदार से कम स्तर का नहीं हो, होगा तथा वह निर्वाचन अधिकारी भी होगा।'' से प्रतिस्थापित किया जायगा।

राज्यपाल के आदेश से,

(डा0 कुंज बिहारी पण्ड्या)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, माननीय मुख्य मंत्री महोदया, राजस्थान।
2. निजी सचिव, माननीय राज्य मंत्री महोदय, राजस्व (स्वतंत्र प्रभार), राजस्थान।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
4. निजी सचिव, शासन सचिव राजस्व विभाग।
5. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
6. समस्त जिला कलक्टर राजस्थान।
7. निबन्धक, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर।
8. रजिस्ट्रार, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर।
9. निदेशक, राजस्थान ग्रामदान बोर्ड, जयपुर।